"आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना"
स्टेट हेल्थ एजेन्सी (साचीज)
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
☎ 0522 - 6671125 Fax No. - 6671128 email - uprsby@yahoo.co.in
SACHIS

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0/पत्रा–एडवईजरी/1842 लखनऊ : दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक
समस्त आबद्ध चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय :आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के उपचार हेतु सर्जिकल डिस्पोजेबल्स एवं अन्य डिस्पोजेबल किट्स हेतु शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय चिकित्सालयों द्वारा इस आशय की पृच्छा की जा रही है कि योजनान्तर्गत भर्ती लाभार्थियों के उपचार में सर्जिकल डिस्पोजेबल्स, अन्य डिस्पोजेबल किट्स, आदि के उपयोग हेतु क्या लाभार्थी से अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है ?

प्रश्नगत विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि भारत सरकार से जारी दिशा–निर्देशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि किसी भी बीमारी के उपचार में आवश्यक सर्जिकल डिस्पोजेबल्स, अन्य डिस्पोजेबल किट्स, ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट्स आदि हेतु योजनान्तर्गत भर्ती लाभार्थी से किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नही लिया जा सकता। इस दिशा–निर्देश का सभी आबद्ध चिकित्सालयों के साथ किये गये अनुबन्ध पत्र में भी उल्लेख किया गया है।

इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश दिनांक 29 मार्च, 2019 (छायाप्रति संलग्न) जो योजनान्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, में लाभार्थियों से अनियमित तरीके से की गयी वसूली के प्रकरणों में वसूली गयी धनराशि की पॉच गुना धनराशि के आर्थिक दण्ड का प्राविधान किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा–निर्देशों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोक्त।

04/10/2019
(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0/431–एडवाईजरी/1842 तद्दिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी, उत्तर प्रदेश।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

national health authority

Dr. Dinesh Arora, IAS
Deputy Chief Executive Officer

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
National Health Authority

D.O. No. S-12012/02/2018-NHA

Dated: 29th March 2019

Dear Colleague,

This is to inform you that to bring clarity for proper treatment of the penalty amount paid by the Hospital, the, "Guidelines on Process of Empanelment for Hospital" by National Health Authority has been updated under Clause 1.10.C- Penalties for Offences by the Hospital. The guideline suggests as below:

1. Illegal cash payments by beneficiary - Full Refund and penalty up to 5 times of illegal payment to be paid to the SHA by the hospital within 7 days of the Receipt of Notice. SHA shall thereafter transfer money to the beneficiary, charged in actual, within 7 days.
2. The penalties by the hospital will be paid to the SHA in all the cases.

The detailed Guideline by National Health Authority on Hospital Empanelment are attached as Annexure I for your reference.

Looking forward to your continual support.

Enclosure: Annexure I Guidelines on Process of Empanelment for Hospital

Yours sincerely,

(Dr. Dinesh Arora)

CEOs of all SHAs (except Telangana, Odisha, West Bengal and Delhi)

7th & 9th Floor, Tower-I, Jeevan Bharati Building, Connaught Place, New Delhi-110001